न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
15 / 2018	प्रा0पत्र 144 CPC	27.04.2018	27.09.2018

दीपक चौधरी पुत्र सुभाषचन्द्र मीत्तड़ जाति जाट निवासी गायत्री नगर वार्ड नं. 45 चूरू
–प्रार्थी–

बनाम

1. मुकुल सिगतिया पुत्र सुशीलकुमार जाति सिगतिया निवासी चूरू
2. दीपक अग्रवाल पुत्र पुरूषोत्तमदास जाति अग्रवाल निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू
3. मोहनसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति राजपूत निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू
4. पूर्णीदेवी पत्नी गोपालराम जाति प्रजापत निवासी चूरू
5. गोविन्दराम पुत्र खेमचन्द जाति प्रजापत निवासी वार्ड नं. 14 रतनगढ जिला चूरू
6. गिरधारीलाल पुत्र गंगाराम जाति प्रजापत निवासी रामगढ तहसील फतेहपुर जिला सीकर
7. महताबसिंह पुत्र बलूराम जाति जाट निवासी भाकरा तहसील राजगढ जिला चूरू
8. ओमप्रकाश पुत्र चिरंजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी चूरू
9. कमलेशकुमार
10. महेन्द्रकुमार } पि0 परमेश्वरलाल जाति ब्राह्मण निवासी चूरू
11. इन्दरावती पत्नी राजेन्द्र जाति गाड़िया लुहार निवासी दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू
12. भागीरथ
13. ताराचन्द
14. गजूराम
15. सन्तलाल
16. घनश्याम
17. अमरीश
18. सावित्री
19. सन्तोष } पुत्र–पुत्रियां स्व. मालीराम जाति जाट निवासी मालजी के कमरे के पीछे, चूरू तहसील चूरू
20. ज्यानादेवी बेवाह मालीराम जाति जाट निवासी मालजी के कमरे के पीछे, चूरू
21. रूकमणीदेवी पत्नी नोरंगलाल जाति प्रजापत निवासी ओम कॉलोनी, चूरू
22. हरफूलसिंह पुत्र खमाराम जाति जाट बाबल निवासह हंसासर जिला झुन्झुनू
23. इकरामुलहक
24. मोईनुलहक
25. गसलदूलहक
26. गयासुलहक
27. अहसानुलहक } पिसरान अब्दुलमजीद जाति मुसलमान चूनगर निवासीगण चूरू तहसील व जिला चूरू
28. परमेश्वरी पुत्री जगदीशप्रसाद जाति मीणा निवासी चूरू जिला चूरू
29. रेशमा जोजा नत्थूखां जाति कायमखानी निवासी चूरू जिला चूरू
30. सुभाषचन्द्र मीत्तड़ पुत्र बलूराम निवासी गायत्री नगर वार्ड नं. 45, चूरू
31. कुम्भाराम मीत्तड़ पुत्र बलूराम निवासी कोहिना तहसील तारानगर जिला चूरू
32. मु. सजनादेवी पत्नी स्व. हरिसिंह
33. सोमवीर पुत्र स्व. हरिसिंह
34. मु. रोशनी पुत्री स्व. हरिसिंह पत्नी सोमवीर
35. मु. बिमला पुत्री स्व. हरिसिंह पत्नी सुरेन्द्र } जाति जाट निवासीगण नोरंगपुरा तहसील राजगढ जिला चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

36. धर्मवीर पुत्र स्व. हरिसिंह जाति जाट निवासी नोरंगपुरा तहसील राजगढ जिला चूरू
37. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब, चूरू
38. चूरू जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा चूरू जरिये प्रबन्धक

–अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी.

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री गोपालकृष्ण सिहाग प्रार्थी
2. अधिवक्ता श्री ऋषिराजसिंह शेखावत अप्रार्थी सं. 1, 2
3. अधिवक्ता श्री प्रतापसिंह बिदावत अप्रार्थी सं. 3
4. अधिवक्ता श्री मोहम्मद इदरीश अप्रार्थी सं. 11, 29

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि रोही मौजा चूरू में स्थित कृषि भूमि ख. नं. 1012 तादादी 46.06 बीघा, ख. नं. 1013 तादादी 21.05 बीघा, ख. नं. 1024 तादादी 00.10 बीघा, ख. नं. 1377/1011 तादादी 15.10 बीघा किता 4 कुल तादादी 83.10 बीघा में से 20 हिस्सा भूमि का प्रार्थी राजस्व अभिलेखों में अभिलेखित खातेदार, काबिज काश्तकार है तथा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 36 भी राजस्व अभिलेखों में अभिलेखित खातेदार है। यह कि उपर्युक्त सहखातेदारी, संयुक्त कब्जा, काश्त की कृषि भूमि के मुश्तरका खाता एवं लगान को तकसीम करवाकर खाता व लगान अलग कायम करवाने के लिए वादी अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने माननीय न्यायालय के समक्ष वाद सं. 85/12 अनु. मुकुल सिगतिया वगैरा बनाम् मोहनसिंह वगैरा संस्थित किया। वाद सं. 85/12 के वाद शीर्षक की आवली में बतौर प्रतिवादी सं. 12 मालीराम पुत्र भैराराम जाति जाट सारण निवासी मालजी के कमरे के पीछे, चूरू को संयोजित कर वाद संस्थित किया गया। दावा में संयोजित प्रतिवादी सं. 12 का स्वर्गवास दिनांक 13.04.94 को वाद प्रस्तुती तिथि 11.05.12 से करीब 18 वर्ष पहले हो गया तथा अप्रार्थीगण सं. 15 ता 19 के द्वारा आवेदन हस्ब आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत दिनांक 30.11.12 को प्रस्तुत करके प्रतिवादी सं. 12 मालीराम कृत व्यक्ति के विरूद्ध संस्थित वाद को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया, लेकिन वादी अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने अप्रार्थीगण सं 15 ता 19 द्वारा प्रस्तुत आवेदन का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया और ना ही अदालतवाला द्वारा आवेदन विधिनुरूप निर्णित कर निस्तारित किया गया। यह कि वादी अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने दिनांक 30.07.13 को प्रतिवादी सं. 12 मालीराम की मृत्यु दिनांक 13.04.94 को हो जाने का इल्म दिनांक 30.11.12 को हो जाने के करीब 8 माह पश्चात् मृतक मालीराम प्रतिवादी सं. 12 को प्रतिवादी पक्ष से हटाया जाकर उसके वारिसान को दावा में पक्षकार बनाने के लिए आवेदन विधि विपरीत बिना किसी विधिक प्रावधान के प्रस्तुत किया गया लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा मृतक प्रतिवादी सं. 12 के कायम मुकामान को बतौर प्रतिवादी सं. 12/1 ता 12/9 संयोजित कर संशोधित वाद शीर्षक प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया गया। यह कि प्रतिवादी सं. 07 की दौराने विचारण दावा दिनांक 23.10.14 को मृत्यु हो जाने तथा मृतक प्रतिवादी सं. 7 के वारिसान के हक में नामान्तरणकरण सं. 2716 दिनांक 17.11.2015 को तस्दीक होने के उपरान्त मृतक प्रतिवादी सं. 7 हरिसिंह के वारिसान अप्रार्थीगण सं. 32 ता 36 राजस्व अभिलेखों में खातेदार अभिलेखित हो जाने बाबत् प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 30 सुभाषचन्द्र द्वारा दिनांक 19.01.16 को दौराने विचारण दावा प्रस्तुत किया गया लेकिन मृतक प्रतिवादी सं. 7 के वारिसान को अभिलेख

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

पर लिये जाकर दावा में अग्रेतर कार्यवाही किये जाने के लिए वादी अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 द्वारा विहित समयावधि में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, ना ही संशोधित वाद शीर्षक प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा वाद सं. 85/12 अनु. मुकुल सिगतिया वगैरा बनाम् मोहनसिंह वगैरा में मृतक प्रतिवादियों के विरूद्ध पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 15.03.16 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रथम अपील सं. 9/17 अनु. दीपक चौधरी बनाम् मुकुल सिगतिया वगैरा तथा अंतिम डिक्री के विरूद्ध अपील सं. 10/17 अनु. दीपक चौधरी बनाम् मुकुल सिगतिया वगैरा संस्थित की गई।

यह कि प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष संस्थित प्रथम अपील सं. 9/17 एवं 10/17 की गुणावगुण पर सुनवाई करके अपीलार्थी द्वारा संस्थित अपीलों को दिनांक 14.02.18 को निर्णित करके अपील स्वीकार फरमाई गई तथा माननीय न्यायालय द्वारा वाद सं. 85/12 अनु. मुकुल सिगतिया वगैरा बनाम् मोहनसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 15.03.16 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.07.16 को अपास्त फरमाया जा चुका है। यह कि माननीय न्यायालय द्वारा वाद सं. 85/12 अनु. मुकुल सिगतिया वगैरा बनाम् मोहनसिंह वगैरा में पारित डिक्री की वादी अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष कोई इजराय प्रस्तुत नहीं की गई, लेकिन मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध पारित निर्णय एवं डिक्री की आड़ में वादी अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर मनमाने तौर पर खाता तकसीम करवाकर नक्शा किश्तवार में मनमानी तरमीम करवा ली गई है। इसलिए विधि के आज्ञापक प्रावधानों के तहत वादगत कृषि भूमि ख.नं. 1012 तादादी 46.05 बीघा, ख.नं. 1013 तादादी 21.05 बीघा, ख.नं. 1024 तादादी 00.10 बीघा, ख.नं. 1377/1011 तादादी 15.10 बीघा किता 4 कुल तादादी 83.10 बीघा रोही मौजा चूरू में स्थित कृषि भूमि के राजस्व अभिलेखों की दिनांक 25.07.16 से पूर्व की स्थिति बहाल की जानी युक्तियुक्त एवं न्यायसंगत है।

यह कि अदालतवाला द्वावा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 25.07.16 को माननीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा दिनांक 14.02.18 को अपास्त फरमाया जा चुका है। इसलिए अदालतवाला द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.07.16 का विधिवत निष्पादन करवाये बिना ही राजस्व कर्मचारियों से साज करके अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 द्वारा अंतिम डिक्री दिनांक 25.7.16 की आड़ में तस्दीक करवाया गया ई.सं 2874 दिनांक 19.08.2016 एवं इसकी रूह से राजस्व अभिलेखों में दर्ज खातेदारी एवं वादगत कृषि भूमि के नक्शा किश्तवार में की गई अवैध तरमीम को निरस्त फरमाकर दिनांक 25.07.16 से पहले की राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति बहाल किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसंगत है। यह कि आवेदन हाजा बिना किसी विलंब के मामूलन न्यायशुल्क अदा किया जाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि आवेदन हाजा के अदालतवाला को पूर्ण श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार हासिल है।

अतः आवेदन हाजा प्रस्तुत करके अर्ज है कि वाद सं. 85/12 अनुवानी मुकुल सिगतिया वगैरा बनाम मोहनसिंह वगैरा में अदालतवाला द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.03.16 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.07.16 के आधार पर विधिनुसार डिक्री दिनांक 250.7.16 के निष्पादन के बिना ही रोही मौजा चूरू में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 1012 तादादी 46.05 बीघा, ख.नं. 1013 तादादी 21.05 बीघा, ख.नं. 1024 तादादी 00.10 बीघा, ख.नं. 1377/1011 तादादी 15.10 बीघा किता 4 कुल

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

तादादी 83.10 बीघा के तस्दीक ई.सं. 2874 दिनांक 19.08.2016 एवं इसकी रूह से जमाबंदी में किया गये अंकन तथा नक्शा किश्तवार में की गई तरमीम को निरस्त फरमाकर प्रत्यास्थापन (रेस्टिट्यूशन) किया जाकर पूर्व की स्थिति. बहाल किये जाने के आदेश मातहत अप्रार्थी सं. 37 को जारी किये जाने की कृपा करें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से श्री ऋषिराजसिंह एडवोकेट, अप्रार्थी सं. 3 की ओर से श्री प्रतापसिंह बीदावत एडवोकेट एवं अप्रार्थी सं. 11 व 29 की ओर से श्री मोहम्मद इदरीश एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा राजस्थान सरकार की ओर से नायब तहसीलदार पैरोकार राज उपस्थित हुए। शेष अप्रार्थीगण के विधिवत तामील के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वकील अप्रार्थी सं. 3 की ओर से जवाब पेश नहीं करना चाहते, का कथन किया। अप्रार्थी सं. 11 व 29 की ओर से जवाब पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी सं. 11 व 29 की ओर से जवाब में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 में दर्ज तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार हैं, क्योंकि अप्रार्थी सं. 11 इन्द्रावती पत्नी राजेन्द्रकुमार व अप्रार्थी सं. 29 रेशमा पत्नी नत्थूखां की क्रमशः 20 बीघा 17.5 विश्वा व 10 बीघा 10 विश्वा कृषि भूमि जरिये बैयनामा रजिस्ट्री खरीदशुदा है, जिस पर खरीद की तारीख से ही इन्द्रावती पत्नी राजेन्द्रकुमार व अप्रार्थी सं. 29 रेशमा पत्नी नत्थूखां की कब्जा काश्त है तथा प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 में दर्शित मुश्तरका खाता की 83.10 बीघा कृषि भूमि का खाता विभाजन करवा लिया गया है। उसी के अनुसार अप्रार्थी सं. 11 व 29 मौका पर काबिज हैं। उक्त प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए प्रार्थी द्वारा लगाया गया प्रार्थना पत्र 144 जा.दी. खारिज फरमाये जाने योग्य है, खारिज फरमाया जाये। यह कि प्रा0पत्र की मद सं. दो में कथित तथ्य मद सं. एक में दर्शित मुश्तरका खाता की 83.10 बीघा कृषि भूमि का खाता विभाजन करवा कर लगान का काश्तकारों के नाम अलग अलग करवाने के लिए अप्रार्थी संख्या एक व दो के द्वारा पूर्व में माननीय न्यायालय के समक्ष एक वाद संख्या 85/12 अनुवान मुकुल सिगतिया आदि बनाम मोहनसिंह आदि संस्थित किया जाना स्वीकार है, बाकी तथ्य रिकार्डेड हैं। यह कि प्रा0पत्र की मद सं. 3 ता 5 में वर्णित तथ्य रिकार्डेड हैं। यह कि प्रा0पत्र की मद सं. 6 में वर्णित तथ्य पूर्णतया अस्वीकार हैं क्योंकि माननीय न्यायालय के समक्ष वाद सं. 85/12 अनुवान मुकुल सिगतिया आदि बनाम मोहनसिंह आदि मुताबिक राजस्व रिकार्ड सभी पक्षकारान के मध्य खाता विभाजन का पेश किया गया था, जिसमें सभी पक्षकारान करे सुना जाकर निर्णय दिनांक 15.03.2016 पारित किया गया था, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं थी। इसलिए प्रार्थी द्वारा लगाया गया प्रा0पत्र 144 जा.दी. खारिज फरमाये जाने योग्य है, खारिज फरमाया जाये। यह कि प्रा0पत्र की मद सं. 7 में वर्णित तथ्य अदालत द्वारा पारित अन्तिम डिक्री दिनांक 25.07.2016 को माननीय भूप्रबन्ध एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी महोदय बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.02.2018 स्वीकार है, बाकी तथ्य अस्वीकार है।

यह कि प्रा0पत्र की मद सं. 8 व 9 कानूनी हैं। यह कि प्रार्थी दीपक चौधरी द्वारा लगाया गया यह 144 जा.दी. का प्रा0पत्र निराधार एवं बेबुनियाद है, क्योंकि माननीय न्यायालय द्वारा जो

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

खाता विभाजन के दावे को स्वीकार कर जो आदेश दिया गया है, वह जमाबन्दी में दर्ज काश्तकारों के नाम व हिस्सानुसार उपस्थित पक्षकारों की सहमति से ही तैयार किये गये हैं, जो सही है व मौका पर वास्तविक कब्जे के अनुसार है, जिससे किसी भी पक्षकार का कोई हित प्रभावित नहीं हुआ है। खाता विभाजन के आधार पर जमाबन्दी एवं नामान्तरण रजिस्टर (जो कि एक राजस्व रिकार्ड है) में खातेदारों का जो अंकन किया गया है वह पूर्व के अंकन के अनुसार ही खाता विभाजन का प्रस्ताव बनाकर राजस्व रिकार्ड में जो तरमीम की गई है, वह मात्र कृषि भूमि के स्वामित्व के अनुसार राजस्व की वसूली के लिये की गई है, ताकि राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो, इसलिए यह प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है, खारिज फरमाया जाये। यह कि प्रार्थी दीपक चौधरी द्वारा लगाया गया 144 जा.दी. का प्रा0पत्र निराधार एवं बेबुनियाद है, क्योंकि धारा 144 जा.दी. उस स्थिति में लागू होगी, यदि पारित आदेश, डिक्री के परिणाम स्वरूप पक्षकारान का सम्पत्ति में कब्जा में परिवर्तन हो गया हो, तब प्रत्यास्थापन का प्रार्थना पत्र लगाया जा सकता है, या किसी पक्षकार द्वारा किसी आदेश, डिक्री के परिणाम स्वरूप किसी आदेश, डिक्री के अधीन या उसके अनुसरण में कोई लाभ प्राप्त किया हो। ऐसा किसी भी प्रकार से अप्रार्थी सं. 11 व 29 ने नहीं किया है, इस प्रकार धारा 144 जा.दी. जब लागू होती है जब आदेश, डिक्री के निष्पादन या उस आदेश, डिक्री के सीधे परिणाम स्वरूप किसी सम्पत्ति का खोया जाना अन्तर्वलित हो।

यह कि प्रार्थी दीपक चौधरी द्वारा श्रीमान् जी के समक्ष लगाये गये अपने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 144 जाब्ता दीवानी में अपने आपको (दीपक चौधरी) सुभाषचन्द्र मीत्तड़ का पुत्र जाति जाट उम्र 29 वर्ष निवासी गायत्री नगर वार्ड नं. 45 चूरू लिखा है। पत्रावली के अनुसार सुभाषचन्द्र मीत्तड़ पुत्र बालूराम है, दीपक चौधरी अपने को हरीराम का वारिस होना अपनी अपील सं. 10/17 माननीय भू-प्रबन्ध एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी महोदय बीकानेर में दर्शित किया है। उसने अपने आपको अपीलाधीन आदेश वाद सं. 85/12 में दर्ज प्रतिवादी सं. 7 हरीसिंह पुत्र नन्दूराम जाति जाट निवासी नोरंगपुरा तहसील राजगढ जिला चूरू का वारिस बताया है जबकि प्रार्थी द्वारा श्रीमान् जी के समक्ष लगाये गये अपने ही प्रा0पत्र धारा 144 जा.दी. की मद संख्या चार में हरिसिंह के चार वारिस अप्रार्थी सं. 32 से 36 क्रमशः मु. सजनादेवी पत्नी स्व. हरिसिंह, सोमवीर पुत्र स्व. हरिसिंह, मु. रोशनी पुत्री स्व. हरिसिंह पत्नी सोमवीर, मु. बिमला पुत्री स्व. हरिसिंह पत्नी सुरेन्द्र, धरमवीर पुत्र स्व. हरिसिंह को बताया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र की मद सं. एक में दर्शित कृषि भूमि में किसी भी प्रकार से पक्षकार नहीं है। अतः ऐसा व्यक्ति जो डिक्री या आदेश का पक्षकार नहीं है, वह प्रत्यास्थापन का आवेदन नहीं कर सकता है। इसलिए भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है, खारिज फरमाया जाये। यह कि अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में भी मौके पर काश्त करने हेतु बाहमी तौर पर विभाजित कर रखी थी, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण की कब्जा काश्त है, प्रार्थना पत्र की मद संख्या एक में दर्शित कृषि भूमि के सह काश्तकारान अलग-अलग परिवार, जाति, धर्म के हैं जिनका कब्जा काश्त संयुक्त होना एवं एक साथ राजस्व वसूल करना स्वाभाविक नहीं है, इसलिए जो राजस्व रिकार्ड में तरमीम की गई है, ताकि राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो, इसलिए यह प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है, खारिज फरमाया जाये। यह कि बाकी तथ्य एवं सबूत बर वक्त बहस पेश किये जायेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर भारी कोस्ट के साथ खारिज फरमाया जाये।

पैरोकार राज व अप्रार्थीगण को जवाब हेतु काफी अवसर प्रदान किये गये एवं तत्पश्चात् स्वतः बन्द की शर्त पर अवसर दिया जाने पर वकील अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से कथन किया कि अप्रार्थी सं. 11 व 29 की ओर से पेश जवाब को ही हमारा जवाब माना जावे, जिस पर जवाब उक्तानुसार माना जाकर पत्रावली पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पर अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जब माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी ने अपनी अपील संख्या 09/17, 10/17 के निर्णय दिनांक 14.02.2018 के द्वारा इस न्यायालय के दावा सं. 85/12 में जारी निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 15.03.2016 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 25.07.2016 जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया है, को अपास्त कर दिया है तो नियमानुसार कानूनन रूप से अपास्त किये गये आदेश या निर्णय से जो अंकन राजस्व रिकार्ड में किया गया है वह स्वतः ही निरस्त योग्य है। इस न्यायालय के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 15.03.2016 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 25.07.2016 के अपास्त होने से पूर्व की स्थिति बहाल करना न्यायसंगत है तथा मूल अवस्था की बहाली आज्ञापक है। इसलिए कानूनी प्रावधानों के तहत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.07.2016 की पालना में दर्ज ईन्तकाल सं. 2874 दिनांक 19.08.2016 के अंकन को निरस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दिनांक 25.07.2016 से पूर्व की स्थिति बहाल करने एवं उक्त ईन्तकाल से नक्शा किश्तवार में की गई तरमीम को निरस्त फरमाकर प्रत्यास्थापन किया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश अप्रार्थी सं. 37 तहसीलदार, चूरू को दिये जावें। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र एवं बहस कथनों के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्त 2015 (2) आर.आर.टी. पृष्ठ 1121, 2012 (2) आर.आर.टी. पृष्ठ 963 एवं ए.आई.आर. 1977 ए 11 पृष्ठ 115 पेश किये।

वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र गलत व आधारहीन तथ्य अंकित कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है तथा माननीय न्यायालय आर.ए.ए. बीकानेर ने अपने अपील निर्णय में इस न्यायालय के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 15.03.2016 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 25.07.2016 को अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया है जिसमें पर्याप्त साक्ष्य-सबूत, सुनवाई एवं बहस के बाद गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना है। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में कहीं भी दिनांक 25.07.2016 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के निर्देश नहीं दिये हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष को सुना जाकर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं जवाब अप्रार्थीगण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर ने अपनी अपील संख्या 127/2016 अनुवानी महताब बनाम मुकुल सिगतिया आदि, अपील सं. 01/2017 मु. सजना आदि बनाम मुकुल सिगतिया आदि, अपील सं. 10/2017 दीपक चौधरी बनाम मुकुल सिगतिया

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

आदि के निर्णय दिनांक 14.02.2018 में तीनों अपीलों को स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के दावा सं. 85/2012 के निर्णय एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 25.07.2016 को अपास्त किया है तथा अपील सं. 126/2016 अनुवानी महताब बनाम मुकुल सिगतिया आदि व अपील सं. 09/2017 अनुवानी दीपक चौधरी बनाम मुकुल सिगतिया आदि में निर्णय दिनांक 14.02.2018 के द्वारा इस न्यायालय के दावा सं. 85/2012 अनुवानी मुकुल सिगतिया आदि बनाम मोहनसिंह आदि में जारी निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 15.03.2016 को अपास्त कर प्रतिप्रेषित कर स्व. हरिसिंह के वारिसानों को राजस्व वाद में पक्षकार संयोजित करने एवं जमाबन्दी में दर्ज सभी रिकार्डेड खातेदारों को पक्षकार बनाकर अपीलाण्ट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने के समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्तों के अन्तर्गत गुणावगुण के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिये हैं। नकल नक्शा ख.नं. 1377/1011, 2738/1012, 2739/1012, 2740/1013 व 2741/1013 कस्बा चूरू से वादगत कृषि भूमि का खाता विभाजन होकर नक्शे में तरमीम होना दर्शित है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 कस्बा चूरू के खाता संख्या 438 ख.नं. 1377/1011, 2739/1012, 2740/1013 कुल तादादी 14.9797 हैक्टेयर में प्रार्थी दीपक 60/2369 हिस्सा के साथ अप्रार्थी सं. 3 से 11 व 21 से 36 खातेदार अंकित है। खाता संख्या 846 ख.नं. 1024, 2741/1013 कुल तादादी 5.2863 हैक्टेयर में अप्रार्थी सं. 1 व 2 खातेदार अंकित हैं। खाता संख्या 845 ख.नं. 2738/1012 तादादी 0.8536 हैक्टेयर में अप्रार्थी सं. 12 से 20 खातेदार अंकित हैं। नकल नामान्तरकरण सं. 2874 दिनांक 19.08.16 के अनुसार अन्तिम डिक्री दिनांक 25.07.16 की पालना में पक्षकारों का खाता विभाजन होकर अलग अलग खाते कायम किये गये हैं। अप्रार्थी सं. 11 व 29 ने अपने जवाब में प्रार्थी को वादगत कृषि भूमि में पक्षकार नहीं होने का तथ्य लिखते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है। अन्य अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया है। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया है कि जिस निर्णय व डिक्री के आधार पर राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन किया गया है जब वही निर्णय व डिक्री माननीय न्यायालय आर.ए.ए. द्वारा अपास्त किया जा चुका है तो उस निर्णय व डिक्री के आधार पर किया गया परिवर्तन भी अपास्त किये जाने योग्य हो चुका है तथा मूल अवस्था की बहाली आज्ञापक है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 25.07.16 से पूर्व की स्थिति बहाल की जावे। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी वादगत कृषि भूमि में पक्षकार नहीं है एवं माननीय न्यायालय ने इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री अपास्त कर पुनः सुनवाई के लिए कहा है, न कि बहाली के लिए। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

वकील प्रार्थी द्वारा पेश न्यायिक दृष्टान्तों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया। 2015 (2) आर.आर.टी. पृष्ठ 1121 में निष्कर्ष दिया गया है कि ''.... एस.डी.ओ. द्वारा पारित डिक्री पहले ही अपास्त हुई इसलिए मूल अवस्था की बहाली आज्ञापक है......'', 2012 (2) आर.आर.टी. पृष्ठ 963 में निष्कर्ष दिया गया है कि '' राजस्व अपील प्राधिकारी ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त किया–अपीलाण्ट ने निर्णय व डिक्री के दिन विद्यमान स्थिति को बहाल करने हेतु आवेदन पेश किया–आवेदन इस आधार पर खारिज किया कि कार्यवाही के अन्तिम प्रक्रम पर पुनः स्थापना करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता–आवेदन खारिज करने में विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है–निर्णीत, आदेश अपास्त किया,.....'' एवं ए.आई.आर. 1977 All. पृष्ठ 115 में सिद्धान्त दिया गया है कि ''This argument ignores the specific language of Section 144 which clearly provides that it is the court of first instance which is compitent to entertain an application for restitution.''

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी वादगत कृषि भूमि में 60/2369 हिस्सा का खातेदार है जिससे वह उक्त भूमि का प्रभावित पक्षकार है। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा अपीलों के निर्णय दिनांक 14.02.2018 के द्वारा इस न्यायालय के दावा सं. 85/2012 के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.03.2016 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 25.07.2016 को अपास्त कर देने से उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 25.07.2018 की पालना में वादगत राजस्व रिकार्ड में किया गया अंकन स्वतः ही निरस्त योग्य प्रतीत होता है तथा प्रार्थी प्रथम दृष्टया उक्त वादगत राजस्व रिकार्ड में दिनांक 25.07.2016 से पूर्व की स्थिति बहाल करवाने के हकदार है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्तों के अनुसार इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री अपास्त हो जाने से मूल अवस्था की बहाली किया जाना आज्ञापक है, जो इस प्रकरण पर सटीक रूप से लागू होते हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. का उचित होने से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 1024, 1377/1011, 2738/1012, 2739/1012, 2740/1013 एवं 2741/1013 तादादी क्रमशः 0.1265, 3.9204, 0.8536, 10.8443, 0.2150, 5.1598 हैक्टेयर रोही कस्बा चूरू के राजस्व अभिलेख में दिनांक 25.07.2016 से पूर्व की स्थिति बहाल करने एवं उक्त खसरा नम्बरों के नक्शा किश्तवार में की गई तरमीम को दिनांक 25.07.2016 से पूर्व की स्थिति के अनुसार दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश आज दिनांक 27.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू (राजस्थान)